फर्द अहकाम

कार्यालयः– न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
अपीलार्थीः– नन्दकिशोर बनाम अर्जुनलाल
किस्म मुकदमाः– राजस्व (अपील) पत्रावली संख्याः– 55/19 सन्ः– 2019

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।
	25.07.2022 पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट नन्दकिशोर व उनके अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी द्वारा दिनांक 20.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट नम्बर 3,4,5,6,7 ने विवादित आराजी का अपना हिस्सा अपीलाण्ट नम्बर 1, 2 के हक मे रिलीज कर हक त्याग पत्र निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है जिससे अपीलाण्ट नम्बर 3 से 7 का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नही रहा है। अपीलाण्ट नम्बर 3 से 7 का हिस्सा अपीलाण्ट नम्बर 1, 2 में निहित हो गया है। अपीलाण्टस ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा कर लिया है व अपीलाण्ट इस अपील को आगे नही चलाना चाहते है, न आगामी कार्यवाही चाहते है तथा अपील इसी स्तर विड्रो करना चाहते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अपीलाण्ट नम्बर 3,4,5,6,7 ने विवादित आराजी का अपना हिस्सा अपीलाण्ट नम्बर 1, 2 के हक मे रिलीज कर हक त्याग पत्र निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है जिससे अपीलाण्ट नम्बर 3 से 7 का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नही रहा है। अपीलाण्ट नम्बर 3 से 7 का हिस्सा अपीलाण्ट नम्बर 1, 2 में निहित हो गया है। अपीलाण्टस ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा कर लिया है एवं आगे कार्यवाही नही चाहता है। अपीलाण्ट की पहचान उनके अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी द्वारा की गई है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील की कार्यवाही को इसी स्तर पर विड्रो से खारिज की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद किता शुमारी दफ्तर दाखिल हो। (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:33 IST
Reason: SelfAttested